न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 11/2016

अपीलांट

1. श्रीरामाराम पुत्र टीकमाराम
2. जितेन्द्र पुत्र टीकमाराम
3. मु0 खेमीदेवी बेवा टीकमाराम
4. भंवराराम पुत्र भगवानाराम
5. मु0 उदी बेवा भगवानाराम जाति जाट निवासी गेहूँवाला (बायतु भीमजी) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. विरधाराम पुत्र सोनाराम
2. मेहराराम पुत्र सोनाराम
3. खुमाराम पुत्र सोनाराम
4. अचलाराम पुत्र सोनाराम
5. मंगलाराम पुत्र सोनाराम
6. मगाराम पुत्र दूदाराम
7. नरपत पुत्र दूदाराम
8. मु0 पूरो बेवा दूदाराम जाति जाट निवासी गेहूँवाला (बायतु भीमजी) तहसील बायतु जिला बाड़मेर
9. तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 01.06.2015 द्वारा तहसीलदार बायतु

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थित– 1. अपीलांट संख्या 01 उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 01 से 08 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 09 की ओर से ना.तहसीलदार उपस्थित।

<u>आदेश</u> दिनांक 09.06.2017

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 08 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मूल खसरा नंबर 114 रकबा 94.08 बीघा एवं खसरा नंबर 133 रकबा 17.18 बीघा ग्राम बायतु भीमजी, खेत खसरा नंबर 138 रकबा 44.07 बीघा ग्राम बनिया धोरा, खसरा नंबर 177 रकबा 37.07 बीघा, खसरा नंबर 190 रकबा 10.02 बीघा ग्राम गेहूँवाला, खसरा नंबर 107 रकबा 01.14 बीघा, खसरा नंबर 108 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नंबर 109 रकबा

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

271.16 बीघा ग्राम धारणा धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु में आई हुई है। राजस्व गांव गेहूँवाला के खेत खसरा नंबर 109 की रकबा 8.01 बीघा, खसरा नंबर 264 की रकबा 2.00 बीघा, खसरा नंबर 190 की रकबा 0.14 बीघा, राजस्व गांव धारणा धोरा के खेत खसरा नंबर 107 की रकबा 1.14 बीघा तथा राजस्व गांव बायतु भीमजी के खसरा नंबर 114 रकबा 1.08 बीघा कुल रकबा 13.17 बीघा भूमि अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 08 के नाम संयुक्त खातेदारी में सभी पक्षकारारो की आपसी सहमति से रखी गई है। जिस पर अपीलांटस को कोई आपति नही है। मौजा गेहूंवाला के खसरा नंबर 264 रकबा 51.16 बीघा का रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 ने धोखे एवं छल–कपट कर 1/2 – 1/2 हिस्सा भूमि का बंटवारा नहीं करते हुए खसरा नंबर 264 की 29.16 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के नाम करवाई गई एवं अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 06 से 08 के नाम 20 बीघा भूमि करवाई। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांटस के अनपढ़ होने से ज्ञान नहीं हो सका। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई। अपीलांट संख्या 01 उपस्थित। रेस्पोडेंट सं. 01 से 08 उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 09 की ओर से ना. तहसीलदार उपस्थित।

4. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के तहत किया गया विभाजन एवं तरमीम पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार है। विभाजन प्रस्ताव अपीलांटस की सहमति के आधार पर तैयार किया जाकर विभाजन आदेश तहसीलदार बायतु पारित करवाया गया है, जो सही एवं विधि सम्मत होने से अलीलांटस की अपील खारिज की जाए।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

5. हमने उभय पक्षो का सुना। अपीलांट संख्या 01 का यह तर्क है कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांटस की स्थाई रहवासी ढाणियों व पानी के टांके आदि को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के जरिये रेस्पोडेंटस के हक में रख दिये गये, जिससे अपीलांटस के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। तहसीलदार बायतु द्वारा दिनांक 01.06.2015 के तहत किया गया बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया। सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान दिनांक 26.02.2016 को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

6. हमने अपीलांट संख्या 01 एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 08 के कथन पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 01.06.2015 के विरूद्व पेश की है। पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मूल खसरा नंबर 114 रकबा 94.08 बीघा एवं खसरा नंबर 133 रकबा 17.18 बीघा ग्राम बायतु भीमजी, खेत खसरा नंबर 138 रकबा 44.07 बीघा ग्राम बनिया धोरा, खसरा नंबर 177 रकबा 37.07 बीघा, खसरा नंबर 190 रकबा 10.02 बीघा ग्राम गेहूँवाला, खसरा नंबर 107 रकबा 01.14 बीघा, खसरा नंबर 108 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नंबर 109 रकबा 271.16 बीघा ग्राम धारणा धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु में आई हुई है। मौजा गेहूंवाला के खसरा नंबर 264 रकबा 51.16 बीघा का रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 ने धोखे एवं छल–कपट कर 1/2 – 1/2 हिस्सा भूमि का बंटवारा नहीं करते हुए खसरा नंबर 264 की 29.16 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के नाम एवं अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 06 से 08 के नाम 20 बीघा भूमि का विभाजन करवाये जाने के कारण कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2015 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार बायतु को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 09.06.2017 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)